

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना ।

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

कौन आवेदन दे सकता हैः— पटना एवं इसके अनुमण्डल अतंर्गत ऐसे व्यक्ति (महिला / पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमज़ोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिये कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक(सेवानिवृत्त शिक्षक सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रुचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक(अधिवक्ता छोड़कर) भी पुनः आवेदन दे सकते हैं।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य :— पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता विधिक सहायता के लिये पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौंपें।

पदों की संख्या— पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं इसके प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति में अधिकतम पी०एल०वी की संख्या— 100 एवं 50 (पटना जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा।)

आरक्षण — क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा यह पद एक वर्ष के लिये है।

शैक्षणिक योग्यता :- मैट्रिक।

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाथों हाथ या पंजीकृत डाक से अंतिम तिथि— 15/03/2021 को 5.00 बजे अपराह्न तक भेजें। आवेदन के साथ पच्चीस रूपयों का डाक टिकट लगा हुआ स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें जिस पर अनुमण्डल का नाम एवं पिन कोड सम्पर्क न० अनिवार्य रूप से अंकित करें (निर्देशानुसार भेजने हेतु)। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाय

मानदेय :- रु— 500/- (पाँच सौ रुपया) प्रतिदिन, जिनकी गणना बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार किया जाएगा। यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिये देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गॉव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए०डी० आर० केंद्र में ले जाता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश :- 1. आवेदक भारत का नागरिक हो। 2. स्वस्थ हो। 3. अच्छा चरित्र हो। 4. समाज सेवा में रुचि रखता हो।

आवेदन भेजने का पता:- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिविल कोर्ट, पटना, पिन— 800004

नोट — आवेदक, विहित प्रपत्र सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट ecourts.gov.in/patna से डाउनलोड कर सकते हैं। सम्पर्क संख्या— 0612 2677002


प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना

प्रपत्र

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

1. आवेदक का नाम -
2. पिता/पति का नाम-
3. स्थायी पता (पंचायत/वार्ड/अनुमंडल सहित)-
4. वर्तमान पता(पंचायत/वार्ड/अनुमंडल सहित)-
5. शैक्षणिक योग्यता-
6. अन्य योग्यता-
7. जन्म तिथि-
8. मोबाइल न.-
9. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग)-

पासपोर्ट साइज
का छायाचित्र^{स्वअभिप्रमाणित}

तिथि-

स्थान-

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना

पारा विधिक स्वयं के चयन हेतू
साक्षात्कार पत्र
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

क्रमांक

छायाचित्र
स्वअभिप्राणित

(कार्यालय उपयोग के लिए)

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम
.....
2. पिता / पति का नाम -
.....
3. जन्म तिथि -
.....
4. स्थाई पता -
.....
5. पत्राचार का पता -
.....

जिला -

राज्य -

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान -

तिथि -

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

साक्षात्कार की तिथि

समय

स्थान

सचिव